भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2506
दिनांक 13.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

बाड़मेर-जैसलमेर निर्वाचन क्षेत्र के गांवों/बस्तियों में जल कनेक्शन

2506. श्री उम्मेदा राम बेनीवालः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) जल जीवन मिशन (जेजेएम) एवं अन्य परियोजनाओं के अंतर्गत बाड़मेर-जैसलमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के गांवों और बस्तियों में जल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और लक्ष्यों के सापेक्ष क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं और कमी के क्या कारण हैं;
(ख) क्या जेजेएम के अंतर्गत प्रत्येक घर में प्रति व्यक्ति जल की आवश्यकता को ध्यान में रखा गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या इस गणना में पशुधन को भी शामिल किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किस वर्ष तथा किस अवधि के लिए आवश्यकताओं का अनुमान लगाया गया है और विचारित जल उपलब्धता अनुपात का आधार क्या है;
(घ) बाड़मेर-जैसलमेर संसदीय क्षेत्र में जेजेएम एवं अन्य परियोजनाओं के अंतर्गत अब तक वर्ष-वार कुल कितना बजट आबंटित एवं उपयोग किया गया है;
(ङ) उक्त क्षेत्र के कितने गांवों एवं बस्तियों को विभिन्न परियोजनाओं से लाभ मिला है, जहां नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की गई है; और
(च) क्या बाड़मेर लिफ्ट नहर परियोजना के अंतर्गत बाड़मेर जिले के प्रथम गांव बरियाड़ा के निवासियों को पानी उपलब्ध कराया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क): अगस्त 2019 से, भारत सरकार देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए राजस्थान के बाड़मेर-जैसलमेर संसदीय क्षेत्र सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम) लागू कर रही है। पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली स्कीमों सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों

की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

राजस्थान राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बाड़मेर-जैसलमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 6,09,906 ग्रामीण परिवारों में से 1,97,918 परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं।

राजस्थान में जल जीवन मिशन का धीमा कार्यान्वयन मुख्यत: राज्य के जल-संकटग्रस्त, सूखा प्रवण और मरूभूमि क्षेत्रों में भरोसेमंद जल स्रोतों की कमी, राज्य स्तरीय स्कीम स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) द्वारा अनुमोदित कई जेजेएम कार्यों के लिए निविदा जारी न करने, राज्य समतुल्य हिस्से की निधि की अनुपलब्धता के कारण हुआ है जिससे राज्य में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की गति प्रभावित हुई है। राजस्थान की राज्य सरकार ने सूचित किया है कि बाड़मेर-जैसलमेर संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण परिवारों सहित प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 2028 तक नल जल कनेक्शन प्रदान कर दिया जाएगा।

(ख) और (ग): जेजेएम के तहत, न्यूनतम सेवा सुपुर्दगी 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) के रूप में तय की गई है। इसके अतिरिक्त, जेजेएम के कार्यान्वयन हेतु कार्यसंबंधी दिशा-निर्देशों में विशेष रूप से पहाड़ी भू-भागों, सूखा प्रवण और मरूभूमि क्षेत्रों में पशुओं को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए मवेशी कुंड के निर्माण हेतु प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम कार्य योजना (वीएपी) की तैयारी के दौरान, पशुधन के लिए मवेशी कुंडों के निर्माण के लिए स्थानों की पहचान के साथ-साथ गांव के लिए पानी की आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया जाता है।

(घ): जल जीवन मिशन के अंतर्गत निधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीधे जारी की जाती हैं और उनके जिला-वार/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार निधि का ब्यौरा भारत सरकार के स्तर पर नहीं रखा जाता है। पिछले पांच वर्षों (2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24) और चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 (10.03.2025 तक) के दौरान आवंटन, आहरित निधि और राजस्थान राज्य द्वारा सूचित किए गए निधि उपयोग का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रु. में)

वर्ष	केंद्रीय					राज्य हिस्से के तहत व्यय
	अथ शेष	आवंटन	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	सूचित उपयोग	
2019-20	313.67	1,301.71	1,301.71	1,615.38	620.31	686.69
2020-21	995.07	2,522.03	630.51	1,625.58	762.04	789.05

वर्ष	केंद्रीय					राज्य हिस्से के तहत व्यय
	अथ शेष	आवंटन	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	सूचित उपयोग	
2021-22	863.53	10,180.50	2,345.08	3,208.61	1,919.83	1,665.84
2022-23	1,288.79	13,328.60	6,081.80	7,370.59	3,937.70	4,123.31
2023-24	3,435.49	3,019.94	250.00	3,685.49	2,898.54	3,904.64
2024-25*	786.95	11,061.46	1,659.22	2,446.17	2,180.28	2,154.96

स्रोत:जेजेएम-आईएमआईएस (10.03.2025 तक)

(ङ): राजस्थान राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बाड़मेर-जैसलमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वीकृत 4,836 गांव हैं जिनमें से 2,232 गांव जल आपूर्ति से लाभान्वित हैं।

(च): राजस्थान राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, एसएलएसएससी ने अपनी 37वीं बैठक दिनांकित 03.05.2023 में बाड़मेर लिफ्ट जल आपूर्ति परियोजना के तहत ग्राम संवितरण नेटवर्क के माध्यम से बरियाड़ा गांव में एफएचटीसी प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की। यह परियोजना बोली आमंत्रित करने के चरण में है।

*****